



## प्रेस विज्ञप्ति

14/10/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत ड्रग तस्करी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रंजीत सिंह उर्फ राणा के परिवार के सदस्यों अर्थात् हरभजन सिंह, सरवन सिंह और जसबीर कौर और अन्य से संबंधित 1.93 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।

ईडी ने आईपीसी, 1860, गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967, शस्त्र अधिनियम, 1959, भारतीय पासपोर्ट अधिनियम, 1967, विदेशी अधिनियम, 1946 और एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की विभिन्न धाराओं के तहत पंजाब पुलिस और एनआईए, नई दिल्ली द्वारा दर्ज दो एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि रणजीत सिंह उर्फ राणा ने स्वर्गीय श्री गुरपिंदर सिंह, तारिक अहमद लोन, अजय गुप्ता, इकबाल सिंह और अन्य के साथ सक्रिय मिलीभगत से सेंधा नमक की आड़ में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ड्रग्स/नशीले पदार्थों का आयात किया। इसके अलावा, जांच से पता चला कि रणजीत सिंह उर्फ राणा अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर नकद में खरीदी गई अचल संपत्तियों में निवेश करके ड्रग ट्रेडिंग के माध्यम से उत्पन्न अपराध की आय को सफेद कर रहा था।

आगे की जांच जारी है।